rist traffic, as far as possible, uniformaily throughout the country, the Department of Tourism had promoted in coordination with Air India, Indian Airlines, travel agencies and hoteliers a 7 day South India package tour termed 'KARTIKEYA Tour'. Recently, the Department of Tourism also launched in coordination with the above agencies a "Destination South India" programme for publicising the attractions of this region. These two measures will greatly help to promote tourist traffic to South India.

चाय प्रबन्ध में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व

2357. **श्री पायस टिर्की** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय अधिनियम के अधीन जारी की गई 21 सितम्बर, 1977 की अधिसूचना (चाय नियंत्रण) के अनुसार, चाय बागानों के आदिवासी श्रमिकों के लिए, जो कुल श्रमिक बल का 99 प्रतिशत है, उचित प्रतिनिधित्व और समुचित संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण सुनिश्चित कर रही है और क्या आदिवासी, श्रमिक के रूप में कार्य करने के अलावा, चाय नियंत्रण बोर्ड और उसकी सभी शाखाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की आशा कर सकते है और प्रबन्ध का भार लेने के हकदार हो सकते हैं ;

(ख) प्रबन्धकीय और अन्य ऐसे ही पदों पर कितने आदिवासियों को नियुक्त किया गया है ;

(ग) चाय बागानों के दुकानदारों में आदिवासी और गैर-आदिवासी श्रमिकों की संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार पर मामला छोड़ने के बजाय चाय बागानों के श्रमिकों को जो सभी हिन्दी भाषी है शिक्षा और प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी अपने हाथ लेगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अधिसूचना (चाय नियंत्रण) दिनांक 21-9-1977 सरकार द्वारा नियुक्त चाय बोर्ड के अधिकारियों की भर्ती तथा सेवाओं की शर्तों से सम्बन्धित नियमों मे संशोधन के बारे मे है । चाय उद्योग मे आदिवासी श्रमिकों को संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध का दरों में उन्हें पदोन्नति देने की जिम्मेदारी उद्योग की है । जहा तक बोर्ड मे प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, अध्यक्ष के अलावा बोर्ड मे विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 सदस्य है । चाय बोर्ड मे विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है । यद्यपि आदिवासियों के लिए इस प्रकार से कोई अलग से प्रतिनिधित्व नही है, तथापि जब और जैसे आवश्यक समझा जाये, आदिवासियो को यथारूप से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है । जहा तक बोर्ड के अधीन नौकरी का सवाल है, बोर्ड अधिसूचित जातियो तथा अधिसूचित जनजातियों की भर्ती तथा पदोन्नति के मामले मे सरकार के अनुदेशों का पालन कर रहा है ।

(ख) और (ग) चाय बोर्ड के पास जानकारी उपलब्ध नही है ।

(घ) श्रमिको को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने का दायित्व प्रमुखत: राज्य सरकारो तथा सम्बद्ध नियोक्ताओं का है । फिर भी, चाय बोर्ड, चाय बागान श्रमिकों के बच्चों को वजीफे प्रदान करने तथा छात्रावास और स्कूल/कालेजों के लिए

भवनों के निर्माण हेतु शिक्षण संस्थानों को वित्तीय अनुदान देकर, और विशेषीकृत चिकित्सा सुविधायें प्रदान करके अनुपूरक सहायता देता है । इस सम्बन्ध में बोर्ड लगभग 6 लाख रु० का कुल खर्च प्रति वर्ष करता है ।

Steps to Curb the Activities of Multinationals

2358 SHRI K LAKKAPPA Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) the specific steps taken in recent months to curb the activities of the multinationals in the country; and

(b) what are the specific items dealt with by the multinationals whose activities have been curbed?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H M PATEL) (a) and (b) Government's policy in regard to new investment by foreign companies is selective It is permitted in high technology areas or in export oriented ventures As for companies already in business the FERA provisions are enforced strictly Under FERA, companies operating in non priority areas are required to bring down non resident interest to 40 per cent and they are not allowed to expand their activities pending dilution

भारत मूलक विदेशी नागरिको द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंको में जमा कराई गई धनराशि

2359 **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत वर्ष विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिको अथवा भारत मूलक विदेशी नागरिको द्वारा भारत में अपने सम्बन्धियो को कितना धन विदेशी मुद्रा के रूप मे भेजा गया, और

(ख) भारतीय बैंको की नई नीति के अनुसार अब तक भारत मूलक विदेशी नागरिको ने भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपना कितना धन जमा कराया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार कैलेण्डर वर्ष, 1976 के दौरान देश के बाहर से आने वाली निर्यात-भिन्न धन राशि 1514 86 करोड रुपए की थी । यह रकम सकल निर्यात-भिन्न प्राप्तियों की है जिसमे 'बाहर से आने वाली रकमों' से सम्बन्धित चार शीर्षों अर्थात (1) परिवार भरणपोषण, (2) गैर-निवासियों की बचतो, (3) प्रवासियों की अन्तरण राशियों और, (4) मनीआर्डर प्राप्तियां के अलावा हवाई कम्पनियो, जहाजी कम्पनियो, बीमा कम्पनियो, लाभाशो और पर्यटन आदि से होने वाली प्राप्तिया शामिल हैं ।

चूंकि भारतीय बैंको के लिए 10,000 रुपए से कम की बाहर से आने वाली रकमो के सम्बन्ध मे भारतीय रिजर्व बैंक को ब्यौरा देना जरूरी नही है। इसलिए सम्बन्धियों को अथवा अन्य प्रयोजनो के लिए बाहर से भेजी गई रकमो के आकडे बताना सम्भव नही है ।

(ख) सम्भवत माननीय सदस्य का आशय विदेशी मुद्रा का गैर-निवासी खाता योजना से है जो पहली नवम्बर, 1975 से शुरू की गई थी । यदि ऐसा है तो इन खातों के अन्तर्गत पहली नवम्बर, 1975 से 31 अक्तूबर, 1977 तक की अवधि मे 5,196,500 डालर और 111,480,000 डालर जमा हुये है । ये आकडे विदेशों में रहने वाले भारतीयो और भारत मूलक